संलग्नक-5.1

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
19-ए,वी. सेन रोड मण्डी परिषद भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,
   उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023-24/1005-2 दिनांक : 8/5/23

विषय : राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण घटक चयनित 25 जनपदों मे संचालित हैं। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम से आच्छादित होने के कारण इन्हें पीयर एजुकेटर जनपद (PE Districts) कहा जा रहा है। इन जनपदों में जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत हैं। इन ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर द्वारा किशोरों को दिये जाने वाले परामर्श के साथ-साथ सम्बन्धित ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा समस्त ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर से संकलित रिपोर्ट के आधार पर जनपदीय कार्यक्रम की सूचना की समीक्षा करते हुये जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के सहयोग से जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम को गति देने एवं सुधार के लिये आवश्यक पत्राचार/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शेष 50 जनपदों को पीयर एजुकेटर रहित जनपद (Non PE Districts) कहा जायेगा/इन जनपदों में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का उत्तरादायित्व डी0ई0आई0सी0 मैनेजर का होगा। समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों में अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नोडल को सहयोग दिया जाएगा।

जिन जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर कार्यरत नहीं है वहां उक्त उत्तरादायित्व जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा।

लक्षित समूह

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है। इसमें शहरी और ग्रामीण,स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले,/विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों/गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

[illegible] (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) (केवल 57 जनपदों हेतु)

जनपदों में मेडिकल कालेज/जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना पत्रांक: प0क0/08-प्रशि/आर0के0एस0के0/2014-15/4984-75 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों से की गई है। प्रदेश में किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को साथिया केन्द्र का नाम दिया गया है। स्थापित साथिया केन्द्र पर प्रशिक्षित किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर की तैनाती की गई है। साथिया केन्द्र के सफल संचालन हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैं :-

- प्रत्येक साथिया केन्द्र हेतु अलग से कमरा, साईनेज बोर्ड, वजन मशीन, हाईटोमीटर, बी0एम0आई0 चार्ट, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, आवश्यक फर्नीचर, स्नेलेंस बाक्स विद मिरर, आई0ई0सी0 मटेरियल, क्लीनिक हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर (क्लाईन्ट लोड रजिस्टर, सर्विस डिलिवरी रजिस्टर, आउटरीच रजिस्टर) किशोर स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि लाजिस्टिक की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित की जाये।

- गर्भनिरोधक साधन कण्डोम/ओ०सी०पी०/ई०सी०पी०/सेनेटरी नैपकिन, आयरन की [illegible] गोलियाँ, एल्बेण्डाजोल की गोलियाँ तथा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट [illegible] उपलब्ध करायी जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा क्लीनिक [illegible] स्वास्थ्य [illegible] ओ०पी०डी० के समयानुसार प्रतिदिन किया जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर परामर्श सम्बन्धी [illegible] गतिविधियों के [illegible] एप्रन के साथ बैज अवश्य पहनें।
- चिकित्सालय में प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला चिकित्सा अधिकारी [illegible] प्रतिदिन किशोर [illegible] क्लीनिकल सेवाएं अवश्य प्रदान की जाये।
- पीयर एजुकेटर कार्यक्रम वाले जनपदों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र पर किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित ए०एन०एम०/एल०एच०वी० द्वारा [illegible] सहायता प्रदान की जाए। जिन साथिया केन्द्र पर केवल पुरुष [illegible] की परामर्श सेवाओं में ए०एन०एम० के द्वारा सहयोग किया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक दिन एक प्रशिक्षित ए०एन०एम० [illegible] के आधार पर अवश्य लगाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से [illegible] में एक बार काउन्सलर को सहयोग प्रदान कर पायेगी।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा माह में 08 [illegible] गतिविधियां स्कूल, कालेज, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस [illegible] साथ, इस हेतु स्वयं सहायता समूह, किशोर–किशोरी समूह [illegible] मेला, युवा महोत्सव एवं अन्य ऐसे स्थानों पर जहाँ [illegible] मुलाकात की जा सके आदि स्थानों पर सम्पादित की जाये। [illegible] जा रहे हेल्थ डे कलेण्डर के अनुसार वार्ता/परिचर्चा की [illegible]
- प्रत्येक काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा आउटरीच गतिविधियों [illegible] 02 माह अग्रिम माईक्रोप्लान तैयार कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/[illegible] से अनुमोदित [illegible] किया जायेगा। माइक्रोप्लान बनाने में यह ध्यान रखा जाये कि [illegible] छूटे। आउटरीच गतिविधियां माईक्रोप्लान के आधार पर ही की [illegible] प्रकार का बदलाव न किया जाये।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा साथिया केन्द्र पर 02 घण्टे [illegible] आउटरीच गतिविधियां की जाये।
- गतिविधि के दौरान निर्धारित बैनर व आई०ई०सी० मैटेरियल का [illegible] किया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी०एम०एस० के द्वारा काउन्सलर की [illegible] नियमानुसार प्रत्येक माह [illegible] किया जाये।
- काउन्सलर द्वारा आर०के०एस०के० टीम ए०एन०एम० [illegible] क्लाईंट लोड बढ़ाने व गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण [illegible] किया जाये।
- [illegible] हेतु [illegible] रजिस्टर प्रतिदिन भरे [illegible] की जाये तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी०एम०एस० [illegible] यू०पी०एच०एम०आई०एस० पोर्टल पर काउन्सलर के द्वारा [illegible] अपलोड कर दी जाये।

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) हेतु ऑपरेशनल व्यय–(केवल [illegible] हेतु)

मेडिकल कालेज/जनपद/सी०एच०सी० स्तरीय साथिया केन्द्र [illegible] उपयोग साथिया केन्द्र हेतु वजन मशीन बी०एम०आई० चार्ट, [illegible] बैनर आदि, [illegible] सामग्री [illegible] आवश्यकतानुसार सामग्री का क्रय सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था:–

- ✓ साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से 317 साथिया केन्द्रों हेतु धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा आउटरीच एक्टिविटी हेतु मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन सपोर्ट:–(57 जनपदों हेतु)

काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह 08 आउटरीच सत्र किये जाने है। आउटरीच गतिविधियों का सपादन स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, यूथ क्लब, किशोर समूहों/किशोर मैत्री समूहों इत्यादि मे किया जाना है। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी। साथ ही उपलब्ध कराई गई संदर्भ सामग्रियां, फ्लिप बुक, बैनर इत्यादि का उपयोग किया जायेगा।

- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह अधिकतम 8 आउटरीच गतिविधियां की जानी हैं। यदि किसी माह कम गतिविधि की गई हो तो भुगतान गतिविधि की सख्यानुसार ही किया जाए। तथा यदि आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह प्रस्तावित 8 के सापेक्ष अधिक की गई है तो अधिकतम 8 गतिविधियों का ही भुगतान किया जायेगा। एक माह की गतिविधियां दूसरे माह में समायोजित नहीं की जाएगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकतम 03 माह मे किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय व्यवस्था :

- ✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु।
- ✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 9 माह हेतु।

किशोर स्वास्थ्य कांउसलर/कोआर्डिनेटर को इस हेतु कुल धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य कांउसलर रिफ्रेशर प्रशिक्षण

प्रदेश में स्थापित किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर तैनात किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर का 03 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ में किया जाना है। प्रशिक्षण में किशोर स्वास्थ्य कांउसलर किशोर स्वास्थ्य मुददे एवं परामर्श कौशल पर प्रशिक्षित किया जायेगा। संस्थान को इस विषय में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगे।

वित्तीय व्यवस्था :

किशोर स्वास्थ्य कांउसलर के प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 1.56 लाख प्रति बैच एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.CB पर कुल 14 बैच के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ को स्वीकृत की जा रही है।

जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक:–(75 जनपद हेतु)

समस्त जनपदों में आर0के0एस0के0 की समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी हैं। उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में कुल 04 त्रैमासिक एवं शेष 50 जनपदों में कुल 02 छमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी। बैठक में विफ्स, ए0एफ0एच0सी0, एम0एच0एस0, पीयर एजुकेशन कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में सहयोगी विभागों/टी0एस0जी0 पार्टनर के प्रतिनिधियों जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :–

जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदो हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.3 स्वीकृत की जा रही है। उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के लिए 03 एवं नॉन आर.के.एस.के. जनपदों के लिए 01 बैठक हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग बैनर,

अल्पाहार, शिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी इत्यादि में किया जायेगा। बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं उपस्थिति रिकार्ड सुरक्षित रखे जाएं।

जनपदीय आर०के०एस०के० कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट:- (केवल 19 जनपद हेतु)

जनपदीय आर०के०एस०के० कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग-अलग ब्लॉकों में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। इसके लिए पूर्व में भ्रमण की कार्ययोजना बनाकर जनपदीय नोडल अधिकारी से अनुमोदित करा ली जाये। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए०एफ०एच०एस० क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

- ✓ माहवार प्लान पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तर पर प्रेषित करें तदनुसार भ्रमण किया जाये।
- ✓ प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त फीडबैक के लिए [illegible] जाना अनिवार्य है।
- ✓ माह में किये गये भ्रमण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी आर०के०एस०के०/मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जारी की जाय। [illegible] पर ही भुगतान किया जाये।

विलीय व्यवस्था :- 25 जनपदों में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर०के०एस०के० कन्सल्टेन्ट हेतु [illegible] रू० 300.00 की दर से प्रति माह कुल 10 भ्रमण हेतु रू० 3000.00 प्रति माह तथा [illegible] एवं इन्टरनेट हेतु रू० 250.00 प्रति माह की दर से [illegible] माह के लिए धनराशि एफ०एम०आर० कोड RCH.5.35.PME.2 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को मॉडल किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक (मॉडल साथिया केन्द्र) के रूप में विकसित किये जाने हेतु

जनपद प्रयागराज एवं अयोध्या के जिला चिकित्सालय में स्थापित किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक को मॉडल साथिया केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था – मॉडल साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) की स्थापना हेतु धनराशि रू० [illegible] 00 प्रति मॉडल साथिया केन्द्र की दर से धनराशि एफ०एम०आर० कोड RCH 5.35.IC पर [illegible] है। मॉडल साथिया केन्द्र हेतु अनुमोदित धनराशि का प्रस्तावित विवरण निम्नलिखितानुसार है :-

क्र0	विवरण	धनराशि रूपये में	टिप्पणी
1	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	-	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]		
9	[illegible]		
कुल		[illegible]	

(मॉडल साथिया केन्द्र हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)

माध्यमिक विद्यालयों में साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय

18 मण्डलीय जनपदों के दो-दो माध्यमिक विद्यालयों में [illegible] हेतु ऑपरेशनल व्यय हेतु धनराशि का उपयोग साथिया कार्नर पर [illegible] इत्यादि हेतु [illegible] चार्ट, फोटोकापी, पेंसिल, [illegible] इत्यादि के लिये भी किया जाये। [illegible] का कार्य [illegible] किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था:–

- ✓ साथिया कार्नर के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया कार्नर की दर से साथिया कार्नर हेतु धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.4 पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर मानदेय हेतु:–(केवल 48 जनपद हेतु)

जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत 328 काउन्सलर्स को 31 मार्च 2023 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस तथा ई0पी0एफ0 के साथ कुल धनराशि जनपदों को एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0521 पर 09 माह हेतु स्वीकृत की जा रही है।

जूनियर विफ्स एवं विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम" (75 जनपदों हेतु):–

जूनियर विफ्स के अन्तर्गत *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.)* प्रत्येक सप्ताह खिलाई जाती है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम– विफ्स के अन्तर्गत समस्त *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (अपर प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मदरसा, सरकारी एवं सहायता प्राप्त इन्टर कालेज के छात्र छात्राओं) में 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की (60 एम.जी.) की बड़ी नीली गोली* प्रत्येक सप्ताह सोमवार को स्कूल तथा आँगनवाड़ी केन्द्र पर बुधवार/शनिवार को खिलाई जानी है।

कार्यक्रम पूर्व के दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित होगा तथा यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के द्वारा जनपदों में आयरन की पिंक (45 एम.जी.) एवं नीली (60 एम.जी.) की सप्लाई की जायेगी।

साथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम –

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस (केवल 25 PE जनपदों हेतु):

किशोर स्वास्थ्य कल्याण दिवस का आयोजन चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्धित उपकेन्द्र क्षेत्र में पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुरूप त्रैमासिक, वर्ष में 04 बार किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्था:– किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के आयोजन हेतु रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.PME.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

धनराशि का व्यय निम्न मानकानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

क्रम सं0	विवरण	दर
1.	बैनर, स्टेशनरी, चार्ट पेपर इत्यादि	रू0 200.00
2.	जलपान (100 प्रतिभागियों हेतु @ रू0 15.00/ प्रतिभागी)	रू0 1500.00
3.	आई0ई0सी0(पैम्पलेट/हैण्डआउट)/फोटो कॉपी	रू0 300.00
4.	साथिया एवं अन्य प्रतिभागियों के पुरस्कार इत्यादि हेतु	रू0 500.00
	कुल धनराशि	रू0 2500.00

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर समुदाय तथा किशोरों के मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन (केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उपकेन्द्रों पर वर्ष में 04 बार प्रस्तावित किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें समुदाय के लोगों तथा साथिया समूह की किशोर–किशोरियों तथा प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा। इसके लिए आशाओं को मोबिलाईजेशन हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्था :–

मोबिलाईजेशन हेतु रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रति आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.ASHA.2 पर प्रथम एवं द्वितीय किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण

दिवस पर किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन हेतु स्वीकृत की [illegible] *[illegible] सहयोग न करके अनुपस्थित रहती है उन्हें यह प्रोत्साहन राशि का भुगतान न किया [illegible]*

किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक (केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक उपकेन्द्र स्तर पर की [illegible] बैठक सम्बन्धी [illegible] दिशा–निर्देश मिशन निदेशक के पत्र संख्या एसपीएमयू/किशोर स्वास्थ्य/ [illegible] 2018–19/10203–25 दिनांक 31.12.2018 जारी किये जा चुके हैं। [illegible] दिशानिर्देश के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक कराना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :–

किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक हेतु धनराशि [illegible] एफ०एम०आर० कोड RCH.5.38.PME.2 पर प्रति बैठक हेतु रू0 500.00 की दर से 06 माह के लिए [illegible]

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम:–

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम [illegible] क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत

1. प्रथम फेज–वर्ष 2020–21 में चयनित 23 जनपदों (प्रयागराज [illegible]) में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
2. द्वितीय फेज–वर्ष 2022–23 में स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम [illegible] उच्च प्राथमिकता वाले कुल 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, [illegible] कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, [illegible] कौशाम्बी एवं ललितपुर) में किया जा रहा है।
3. तृतीय फेज–वर्ष 2023–24 में स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम [illegible] नगर, अमेठी, औरैया, बागपत, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, [illegible] नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, [illegible] कानपुर देहात, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुजफ्फरनगर, [illegible] भदोही, शामली, सुल्तानपुर एवं उन्नाव)

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग [illegible] सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं [illegible]) में जायेगा। [illegible] शिक्षा विभाग से [illegible] शिक्षा अधिकारी [illegible] विद्यालय निरीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग से [illegible] अधिकारी होंगे। प्रत्येक स्कूल से दो शिक्षक [illegible] (HWA) [illegible] [illegible] जायेगा।

स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम वाले नवीन 34 जनपदों में [illegible] संचालन हेतु निम्न मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण– भारत सरकार के शिक्षा [illegible] कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों [illegible] स्वास्थ्य विभाग से [illegible] पर कराया जायेगा।

जनपद स्तर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण:—राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा जिला संस्थान एवं शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (DIET) के माध्यम से जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण किया जायेगा।

- जनपद के प्रत्येक ब्लाक से 03 सदस्यों का चयन जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 हेतु किया जायेगा। टी0ओ0टी0 हेतु स्वास्थ्य विभाग से ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी आर.बी.एस.के. तथा शिक्षा विभाग से ब्लाक रिसोर्स समन्वयक (बी0आर0सी0) को प्रशिक्षित किया जाना है।
- जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. के उपरान्त प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा अपने ब्लॉक में प्रत्येक स्कूल से चयनित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर (**HWA**) का 04 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण को सम्पादित करने की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी।

जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :—

1. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण को सम्पादित करने की पूर्ण जिम्मेदारी जिला संस्थान एवं शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (DIET) की होगी।
2. प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण के वैचों हेतु ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों की वैचवार सूची, प्रशिक्षण आयोजन की तिथि एवं कैलेंडर तैयार कर सूचना ईमेल के माध्यम से राज्य पर अवश्य प्रेषित कर दी जाये।
3. प्रशिक्षण हेतु लाजिस्टिक्स (पेन, पैड एवं नेम टैग, चार्ट, पोस्टर, व्हाईट बोर्ड, मार्कर एवं बैनर इत्यादि) एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का मुद्रण आदि प्रशिक्षण से पूर्व सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त व्यय का प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित खातों में स्थानान्तरित करते हुए निर्धारित एफ0एम0आर0 कोड में अंकन सुनिश्चित किया जाये।
5. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण स्वास्थ्य विभाग से मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, मण्डलीय उपनिदेशक बेसिक एवं मण्डलीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु वित्तीय मानक :— जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. के प्रति बैच हेतु रू0 90200.00 प्रति बैच की दर से कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.CB.1 पर स्वीकृत की जा रही है। जनपद स्तरीय प्रशिक्षको का प्रशिक्षण हेतु मानक धनराशि का उपयोग का मानक निम्न तालिकानुसार है :—

Budget Norm for Organizing 5 SHP TOT Training (per batch) at District level					
1	Venue	DIET			
2	Participants per Batch	30			
3	Participants	DLT			
S.N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total amount (Rs.)
1	Honorarium to Internal Faculty Trainers	500	3	4	7200
2	Honorarium to participants -DLT	300	30	4	36000
3	Breakfast, Tea Lunch	250	32	4	32000
4	Contingency (Banner, Certificate, Name Tag & Stationary etc.)	-			1200
5	TA to participants -	500	30	1	15000
Total					90200

प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री का मुद्रण हेतु :—

- ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण माड्यूल (प्रशिक्षण एवं संसाधन सामग्री) रू0 300.00 प्रति माड्यूल की दर से फोटो प्रतिलिपि स्पाइरल बाइडिंग सहित अथवा मुद्रण कराया जाना है। जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. में प्रशिक्षित ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षकों (02 प्रशिक्षक स्वास्थ्य विभाग एवं 01 शिक्षा विभाग) को एक—एक प्रशिक्षण माडयूल उपलब्ध कराया जाये।
- एक हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर कैरिकुलम बुक (विद्यालय जाने वाले किशोरो के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित पाठ्यक्रम) एवं एक फैसिलिटेटर गाइड (विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सुगमकर्ता हेतु सदर्शिका) हेतु रू0 100.00 प्रति पुस्तक की दर से मुद्रण हेतु। प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर को दोनों पुस्तकों की एक—एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका उपयोग उनके द्वारा विद्यालय में गतिविधियों एवं स्वास्थ्य सत्रों के आयोजन हेतु किया जायेगा। मुद्रित की जाने वाली सामग्री का मानक निम्नवत् है :—

Particulars	Specification
Curriculum book & Facilitator guide	Finished Size: 11"X8.5" [illegible] Paper cover-[illegible] card, 4+4pg, Matt lamination [illegible] Binding

- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की आई.ई.सी. हेतु 11 विषयों के पोस्टर [illegible] प्रति पोस्टर की दर से मुद्रण कराया जाना है तथा प्रत्येक विद्यालय को 11 प्रकार के पोस्टर [illegible] उपलब्ध कराये जायेंगे [illegible] मुद्रित किये जाने वाले पोस्टर का मानक निम्नवत् है :–

Particulars	Specification
Poster for thematic area, school health programme according to prototype	[illegible]"X22" single side printing 4+4 colour, [illegible] paper, gloss lamination on front, gumming [illegible]

वित्तीय व्यवस्था:– प्रशिक्षण माड्यूल, पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री [illegible] एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.IEC पर स्वीकृत की जा रही है।

हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के लिये मर्चेन्टडाइज के प्रोक्योरमेंट हेतु :–

- हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेन्जर [illegible] हेतु रू0 330 प्रति सेट की दर से। प्रत्येक विद्यालय [illegible] एम्बेस्डर एवं कक्षा में चयनित 2 हेल्थ एण्ड वेलनेस मैसेन्जर [illegible] मर्चेन्टडाइज [illegible] कराये जायेंगे। एक विद्यालय में अधिकतम 10 हेल्थ एण्ड [illegible] हेतु मर्चेन्टडाइज का प्राविधान किया गया है।
- समस्त मुद्रण एवं मर्चेन्टडाइज का क्रय ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण [illegible] समस्त मुद्रित सामग्री एवं मर्चेन्टडाइज का वितरण हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर [illegible] प्रशिक्षण के दौरान किया जाना है एवं इसकी प्रति विद्यालय [illegible] रखी जायेगी।
- समस्त मुद्रित सामग्री एवं मर्चेन्टडाइज की स्टाक इंट्री [illegible] अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय।

वित्तीय व्यवस्था:– हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के मर्चेन्टडाइज हेतु [illegible] एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.OOC पर स्वीकृत की जा रही है।

ब्लाक स्तरीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम :– ब्लाक स्तरीय एक दिवसीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण हेतु रू0 [illegible] प्रति ब्लाक की दर से उपलब्ध करायी गयी है। [illegible] प्राथमिक एवं इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों को स्कूल स्वास्थ्य [illegible] जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय व्यवस्था:– ब्लाक स्तरीय चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों [illegible] ब्लाक की दर से कुल धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.OOC [illegible]

माध्यमिक विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन :– (75 जनपदों [illegible])

[illegible] स्वास्थ्य सम्बन्धी [illegible] के लिए [illegible] जायेगा। कार्यक्रम सम्पादन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्ववत् [illegible]

वित्तीय व्यवस्था:

किशोर स्वास्थ्य मंच के लिए रू0 5000.00 प्रति मंच [illegible] एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.40.PME पर स्वीकृत की जा रही है। [illegible] व्यय निम्नानुसार किया जाय–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	कार्यक्रम [illegible] के लिए	[illegible]
2	किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी [illegible] हेतु	[illegible]
3	[illegible] हेतु	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]

आदि)	
कुल धनराशि	5000.00

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट मानदेय हेतुः–(केवल 19 जनपदों हेतु)

उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदो में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट को 31 मार्च 2023 को देय मानदेय मे नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस के साथ एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P266 पर 09 माह हेतु जनपदों को धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

1 से 19 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day-NDD) दिवस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, जिसमें पेट के कीड़ो की गोली एल्बण्डाजॉल (1 से 2 वर्ष को 200 मि.ग्रा./आधी गोली एवं 2 से 19 वर्ष के बच्चों को 400 मि.ग्रा.) खिलायी जाती है।

माह अगस्त हेतु राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत है:–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभिमुखीकरण हेतु :–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण के लिए में प्रति प्रतिभागी रू0 100.00 की दर से कुल धनराशि जनपदों को RCH.7.53.PME पर स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु : –

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रथम चरण हेतु प्रचार प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु धनराशि एफ.एम.आर. कोड RCH.7.53.IEC.1 पर स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु एफ.एम.आर. कोड RCH.7.53.IEC.2 पर जनपद स्तर हेतु रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं ब्लॉक स्तर हेतु प्रति रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से कुल धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

बच्चों/किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के दिन आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1–19 वर्ष के स्कूल/आंगनवाड़ी न जाने वाले बच्चों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार कर आंगनवाडी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन बच्चों को एन.डी.डी./मॉप–सप्ताह के दौरान दवा खिलाने के लिये आंगनवाडी केन्द्र पर लेकर आयेंगी। बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की गोली खिलवाने के लिए मोबिलाईजेशन करने हेतु रु0 100.00 प्रति आशा की दर से धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.7.53.ASHA पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(कार्यक्रम हेतु आई.ई.सी. के विस्तृत मानक, दिशा–निर्देश एवं प्रोटोटाईप अभियान से पूर्व प्रेषित किये जाएगें)

रिपोर्टिंग पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :–

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियां जैसे–साथिया केन्द्र/ए.एफ.एच.एस. क्लीनिक, विफ्स, पीयर एजूकेटर कार्यक्रम एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस की रिर्पोट माह की 05 तारीख तक यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अपलोड कर दी जाये। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित समस्त रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु 25 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 के साथ–साथ पी0ई0 जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की होगी। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की तैनाती नहीं है, वहाँ पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी डी0पी0एम0 की होगी।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ–साथ ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की होगी। जिन ब्लॉकों में किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, वहा पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी बी0पी0एम0 की होगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।

- जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, जिला कार्यक्रम [illegible], जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर के द्वारा प्रत्येक माह में [illegible] से कम [illegible] किशोर मैत्री /किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक एवं स्कूल आंगनवाड़ी केन्द्र का भ्रमण [illegible] उपलब्ध कराई गई सहयोग केन्द्र पर्यवेक्षण एवं विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चेकलिस्ट विश्लेषण, मासिक अनुपालन आख्या के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।
- पी0ई0 जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में [illegible] विजिट्स अलग-अलग ब्लॉकों में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र [illegible]) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायें।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा आर.बी.एस.के. के अन्तर्गत ब्लॉक [illegible] के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनवाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग [illegible] के अनुसार किया [illegible] सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा [illegible] के भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनवाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स [illegible] के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए मुख्य चिकित्सा [illegible] द्वारा निर्देश [illegible] किया जाये।
- आर0बी0एस0के0 टीम अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विफ्स कार्यक्रम के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी। माह के अंत में [illegible] रजिस्टर, [illegible], व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड एवं आई0ई0सी0 की उपलब्धता [illegible] एवं [illegible] गोलियों का वास्तविक उपभोग आदि पर) संकलित आख्या [illegible] प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायें। ब्लॉक [illegible] कार्यक्रम [illegible] निष्पादन में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, [illegible], बी0सी0पी0एम0 [illegible] ए0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स तथा राष्ट्रीय [illegible] स्वास्थ्य कार्यक्रम के समस्त घटकों विशेषकर स्कूल हेल्थ एवं पीयर एजुकेटर प्रोग्राम का अनुश्रवण आंगनवाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स एवं अन्य सम्बंधित मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक अनुश्रवण के दौरान पाई जाने वाली कमियों के [illegible] सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु [illegible] प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल, [illegible] के सम्बंधित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाये [illegible]।

अन्तर्विभागीय समन्वयः–

योजना के अन्तर्गत समाहित समस्त गतिविधियों के [illegible] हेतु ब्लॉक/जनपदीय नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व [illegible] आई0सी0डी0एस0 विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रम [illegible] जाये।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देश:–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये गाइडलाइन्स [illegible] शासनादेश, अन्य प्रभावी नियमों, निर्देशों एवं सक्षम स्तर [illegible] नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम [illegible] सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही [illegible] जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम. [illegible] एम.एस./197/5067-2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार [illegible] ई-पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित [illegible]।
- वित्तीय दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित [illegible] समय से ही व्यय किया जाये।
- जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, [illegible] जिला कार्यक्रम [illegible] मीटिंग [illegible] की [illegible]

- आर.के.एस.के. कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को कुछ गतिविधियां हेतु 06 माह तथा कुछ गतिविधियों के लिए 09 माह हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- चूंकि जनपद द्वारा कार्यक्रमवार किये गये व्यय के आधार पर ही जनपद को लिमिट जारी की जायेगी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं कार्यक्रम नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति की समीक्षा की जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन : एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2022–23 / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक / समस्त महाप्रबन्धक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम. उ0प्र0।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, आर.के.एस.के. परिवार कल्याण निदेशालय उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला / पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, आर0के0एस0के0, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबन्धक जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सलटेन्ट एवं अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर तथा डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, उ0प्र0 एन.एच.एम., उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि धनराशि के आवटंन का कड़ाई से अनुश्रवण करें।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक–किशोर स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16-ए.पी. सेन रोड मण्डी परिषद भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

संलग्नक - 5.2

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2024-25 / 1951-2 **दिनांक :** 08-07-2024

विषय : राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाता है। इसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले, / विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर / किशोरी सम्मिलित हैं।

कार्यालय के पत्रांक-एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2023-24 / 1005-2 दिनांकः 08 मई, 2023 द्वारा वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये थे। इस वर्ष की समस्त गतिविधियां पूर्व में प्रेषित एवं तालिका में अंकित पत्राकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जानी है।

वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों / गतिविधियों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

क्र. स.	गतिविधि का नाम	नवीन एफ.एम. आर. कोड	मानक / पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देश पत्रांक
मानव संसाधन			
1	जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर / कन्सल्टेन्ट मानदेय	185.C.P 266	वर्तमान में कार्यरत् कोआर्डिनेटर / कन्सल्टेन्ट के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। जनपदीय आर0के0एस0के0 कोआर्डिनेटर का कार्य एवं दायित्व सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। संलग्नक-A और A1
2	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर / कोआर्डिनेटर के मानदेय	185.C.S 0521	जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत् काउन्सलर्स के मानदेय हेतु 12 माह की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। जिसका उपयोग मानव संसाधन डैप के निर्देशानुसार किया जाना है। किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर / कोआर्डिनेटर का कार्य एवं दायित्व सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। संलग्नक-B और B1
किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक सेवाएं			
3	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.1	साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 12000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से। संलग्नक-1
4	साथिया कार्नर हेतु ऑपरेशनल व्यय।	35.3	माध्यमिक विद्यालयों में रू0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया कार्नर की दर से। संलग्नक-2
5	माध्यमिक विद्यालयों में साथिया कार्नर स्थापित करने।	35.5	पत्रांक-एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / ए.एफ.एच.एस / 03 / 2022-23 / 9166-3 दिनांकः 01.03.2023 के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक / साथिया कार्नर की माध्यमिक विद्यालयों में स्थापना हेतु धनराशि रू0 25000.00 प्रति साथिया कार्नर की दर से धनराशि स्वीकृत। संलग्नक-2
6	किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर / कोआर्डिनेटर हेतु मोबिलिटी एवं कम्युनिकेशन सपोर्ट।	35.6	• रू0 400.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु। • रू0 300.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 12 माह हेतु। संलग्नक-3
7	जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्ट।	35.7	आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु प्रति भ्रमण रू0 500.00 की दर से प्रति माह कुल 6 भ्रमण तथा कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट हेतु रू0 300.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये। संलग्नक-4

143

8	जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक।	35.8	जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से। संलग्नक–7
9	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर।	35.9	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/4907–2 दिनांक 08.10.2022 के अनुसार ए.एफ.एच.एस. रजिस्टर एवं ए.एफ.एच.एस. कार्ड का मुद्रण निम्न दरों पर कराया जाना है:– ✓ प्रति कार्ड रू0 2.00 की दर से 3000 कार्ड प्रति क्लीनिक हेतु ✓ रू0 200.00 प्रति रजिस्टर की दर से 02 रजिस्टर प्रति क्लीनिक संलग्नक–8
10	किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु हैण्डआउट।	35.10	किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 06 मुख्य विषयों पर आधारित 06 प्रकार के कुल 6000 हैण्डआउट प्रति क्लीनिक (1000 प्रति विषय) रू0 3.50 प्रति हैण्डआउट की दर से पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/4907–2 दिनांक 08.10.2022 के अनुसार। संलग्नक–9
11	ए.एफ.एच.एस. मेडिकल ऑफिसर प्रशिक्षण	35.13	RHFWTC पर मेडिकल आफिसर 03 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू0 1.35 लाख प्रति बैच की दर से धनराशि स्वीकृत। विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे। संलग्नक 10
विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यकम			
12	आयरन की नीली गोली (60मि0ग्रा0)	36.3	शासनादेश संख्या –एस.पी.एम.यू./आर.के.एस.के./7/2016–17/3091–8 दिनांक 30.06.2016 के अनुसार साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यकम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की (60 एम.जी.) की यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपदों में उपलब्ध करायी गयी बड़ी नीली गोली की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर की जाये।
13	विफ्स कार्ड	36.4	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/4907–2 दिनांक 08.10.2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से। संलग्नक–11
सथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यकम			
14	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन।0	38.2	रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस की दर से प्रति आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि किशोर–किशोरियों को मोबिलाईजेशन करने हेतु। संलग्नक–12
15	जनपद स्तरीय पीयर एजुकेटर टी.ओ.टी.	38.3	कार्यालय के पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर.के.एस.के./प्रशिक्षण/08/2017–18/3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. हेतु रू0 147000 प्रति बैच की दर से धनराशि स्वीकृत। संलग्नक–13
16	पीयर एजुकेटर का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण	38.4	पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर.के.एस.के./प्रशिक्षण/08/2017–18/3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार सभी नवीन चयनित पीयर एजुकेटर/ साथिया के 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जनपद बहराइच को प्रति बैच रू0 70000 की दर से 149 बैच हेतु। संलग्नक–14
17	पीयर एजुकेटर्स हेतु नान मानिटरी इन्सेन्टिव।	38.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/प्रोक्योरमेंट /13/2019–20/7486 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2019 के अनुसार समस्त प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर हेतु रू0 50 प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से। संलग्नक–15
18	किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस।	38.6	रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य कल्याण दिवस की दर से धनराशि स्वीकृत। संलग्नक–16
19	किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक।	38.7	पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर/04/2018–19/10203–25 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार रू0 500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक की दर से 02 माह के लिए बैठक की रिपोर्ट एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की जानी है तथा विस्तृत रिपोर्ट पृथक से राज्य स्तर पर प्रेषित की जाए। संलग्नक–17
20	उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीयर एजुकेटर हेतु पुरस्कार एवं सम्मानित	38.8	पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर/04/2023–24/4969–2 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार धनराशि रू0 01.00 लाख प्रति जनपद की दर से। संलग्नक–18

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यकम।			
21	जनपद स्तरीय स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यकम टी.ओ.टी।	39.1	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/2022–23/5856–2दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु जनपद स्तरीय हेल्थ एवं वेलनेस कार्यकम 04 दिवसीय टी.ओ.टी के लिए धनराशि रू0 90200.00 प्रति बैच की दर से। संलग्नक–19
22	ब्लाक स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर प्रशिक्षण।	39.2	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोरस्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/2022–23/5856–2 दिनांक : 15/11/ 2022 तथा – एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/ 2020–21/ 6502–2 दिनांक : 20/01/2021 के अनुसार जनपद बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ एवं वाराणसी हेतु धनराशि रू0 52800.00 प्रति बैच की दर से। संलग्नक–19
23	ब्लाक स्तरीय प्रधानाचार्य अभिमुखीकरण कार्यकम।	39.3	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी.15/ 2022–23 /5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु। संलग्नक–19
24	प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री का मुद्रण।	39.4	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/2022–23 /5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु स्कूल हेल्थ एण्ड वेलनेस कार्यकम के माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री के लिए। संलग्नक–19
25	हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के लिये मर्चेन्टडाइज के प्रोक्योरमेंट।	39.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.पी./15/2022–23/5856–2 दिनांक : 15/11/2022 के अनुसार जनपद सहारनपुर एवं वाराणसी हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के मर्चेन्टडाइज के लिए। संलग्नक–19
26	जनपद स्तरीय SHWP एम.आई.एस. टी.ओ.टी. एवं ब्लाक स्तरीय SHWP एम.आई.एस. प्रशिक्षण	39.6	**जनपद स्तर–** स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु एम.आई.एस. ऐप का प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रत्येक ब्लाक से 02 प्रतिभागियों (पूर्व में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों में से ही एक स्वास्थ्य एवं एक शिक्षा विभाग) द्वारा प्रतिभाग किया जाना है)। प्रशिक्षणोपरान्त इनके द्वारा ब्लाक स्तर पर एम.आई.एस. का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। टी.ओ.टी हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 8000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति जनपद रू0 10000.00 की दर से। **ब्लॉक स्तर–** समस्त अपर प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर को ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु एस.एच.डब्ल्यू.पी. एम.आई.एस. पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर द्वारा एस.एच.डब्ल्यू.पी.एम.आई.एस पर रिपोर्टिंग की जाये। एम.आई.एस. प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से। संलग्नक–19
27	उत्कृष्ट कार्य करने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर हेतु पुरस्कार एवं सम्मान	39.7	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/एस.एच.डब्ल्यू.पी./15/2023–24/4562–2 दिनांक : 06/09/2023 के अनुसार रू0 100000.00 प्रति की दर से। संलग्नक–19
अन्य किशोर स्वास्थ्य गतिविधियां			
28	किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन।	40.2	माध्यमिक विद्यालयों में रू0 5000.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य मंच आयोजन की दर से। संलग्नक–20
जूनियर विफ्स "साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यकम			
29	जूनियर विफ्स कार्ड।	52.3	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2023–24/4907–2 दिनांक: 08.10.2022 के अनुसार रू0 3.50 प्रति कार्ड की दर से। संलग्नक–21
30	आयरन की पिंक गोलियां	52.4	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.) यू.पी.एम.एस.सी.एल द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यकम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर की जानी है।
31	आर.बी.एस.के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन परीक्षण।	52.5	पत्रांक–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/इन्डेंट/27/2023–24/3735–2 दिनांक :06.08.2023 के अनुसार समस्त जनपदों की आर.बी.एस.के. टीम द्वारा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से छात्रों का

			हीमोग्लोबिन परीक्षण किया जाना है। जनपदों को यू.पी.एम.एस.सी.एल. द्वारा हीमोग्लोबिनोमीटर एवं लैनसेट, स्ट्रिप्स स्वॉब सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एच.एम.आई.एस. पोर्टल एवं ई–कवच पर की जानी है। संलग्नक–21
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवसः 2024 –25चरण हेतु *(कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)*			
32	मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि	53.4	लाभार्थियों के मोबिलाईजेशन हेतु रू0 100.00 प्रति आशा की दर से। संलग्नक–22
33	अभिमुखीकरण	53.5	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी की दर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 के ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण हेतु। संलग्नक–23
34	मुद्रण आई.ई.सी. मैटेरियल एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र	53.6	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अगस्त चरण के प्रचार–प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु। संलग्नक–24
35	लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार	53.7	रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से। संलग्नक–25
अभियान हेतु टैबलेट एल्बेन्डाजोल लक्ष्य के सापेक्ष यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जनपदों में सप्लाई की जायेगी। प्रत्येक ब्लाक जनपद इकाई द्वारा डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से इन्डेंट किया जाता है। यू.पी.एम.एस.सी.एल. द्वारा पूर्व में किये गये उपभोग के आधार पर सप्लाई की जायेगी। अतः डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल पर गोलियों के उपभोग का दर्शाना सुनिश्चित करें।			

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। पुनः **एफ.ए.एम.एस. सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुये पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किये जायें, जिससे व्यय बजट का सतत् अनुश्रवण किया जा सके।** वित्तीय दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा धनराशि (DAP) के सापेक्ष ही व्यय किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(डॉ0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन : एस.पी.एम.यू. / किशोर स्वास्थ्य / बजट / 02 / 2024–25 / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक / समस्त महाप्रबन्धक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उ0प्र0।
5. स्टेट नोडल अधिकारी, आर.के.एस.के. परिवार कल्याण निदेशालय उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला / पुरुष / संयुक्त चिकित्सालय।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, आर0के0एस0के0, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबन्धक, जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट एवं अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर तथा डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, उ0प्र0

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक–किशोर स्वास्थ्य

RKSK Budget Allocated for Operational Cost of AFHCs FY 2024-25

NEW FMR CODE: 35.1/OlD FMR CODE RCH.5.35.OOC.1 (ANNXURE:1)

S.no	District Name	Total Clinic	Fund for operational cost AFHCs @ Rs 12000/clinics/year
1	AGRA	2	24000.00
2	ALIGARH	2	24000.00
3	AMBEDKAR NAGAR	0	0.00
4	AMETHI	0	0.00
5	AURAIYA	0	0.00
6	AYODHYA	10	120000.00
7	AZAMGARH	2	24000.00
8	BAGHPAT	0	0.00
9	BAHRAICH	12	144000.00
10	BALLIA	2	24000.00
11	BALRAMPUR	2	24000.00
12	BANDA	2	24000.00
13	BARABANKI	17	204000.00
14	BAREILLY	17	204000.00
15	BASTI	2	24000.00
16	BIJNOR	2	24000.00
17	BUDAUN	13	156000.00
18	BULANDSHAHAR	0	0.00
19	CHANDAULI	0	0.00
20	CHITRAKOOT	0	0.00
21	DEORIA	2	24000.00
22	ETAH	9	108000.00
23	ETAWAH	2	24000.00
24	FARRUKHABAD	9	108000.00
25	FATEHPUR	2	24000.00
26	FIROZABAD	0	0.00
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	0	0.00
28	GHAZIABAD	2	24000.00
29	GHAZIPUR	0	0.00
30	GONDA	13	156000.00
31	GORAKHPUR	2	24000.00
32	HAMIRPUR	0	0.00
33	HAPUR	0	0.00
34	HARDOI	21	252000.00
35	HATHRAS	2	24000.00
36	JALAUN	0	0.00
37	JAUNPUR	0	0.00
38	JHANSI	2	24000.00
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	0	0.00
40	KANNAUJ	7	84000.00
41	KANPUR DEHAT	0	0.00

54/78

137

S.no	District Name	Total Clinic	Fund for operational cost AFHCs @ Rs 12000/clinics/year
42	KANPUR NAGAR	1	12000.00
43	KASGANJ	8	96000.00
44	KAUSHAMBI	5	60000.00
45	KUSHINAGAR	0	0.00
46	LAKHIMPUR KHERI	17	204000.00
47	LALITPUR	2	24000.00
48	LUCKNOW	2	24000.00
49	MAHARAJGANJ	13	156000.00
50	MAHOBA	2	24000.00
51	MAINPURI	0	0.00
52	MATHURA	2	24000.00
53	MAU	0	0.00
54	MEERUT	0	0.00
55	MIRZAPUR	12	144000.00
56	MORADABAD	2	24000.00
57	MUZAFFARNAGAR	2	24000.00
58	PILIBHIT	9	108000.00
59	PRATAPGARH	0	0.00
60	PRAYAGRAJ	17	204000.00
61	RAEBARELI	2	24000.00
62	RAMPUR	8	96000.00
63	SAHARANPUR	2	24000.00
64	SAMBHAL	0	0.00
65	SANT RAVIDAS NAGAR	0	0.00
66	SANTKABIR NAGAR	3	36000.00
67	SHAHJAHANPUR	16	192000.00
68	SHAMLI	0	0.00
69	SHRAWASTI	2	24000.00
70	SIDDHARTH NAGAR	0	0.00
71	SITAPUR	19	228000.00
72	SONBHADRA	10	120000.00
73	SULTANPUR	0	0.00
74	UNNAO	0	0.00
75	VARANASI	3	36000.00
	TOTAL	317	3804000

38.04

RKSK Budget Allocated for mobility and Communication for AH counsellor under RKSK for FY-2024-25
NEW FMR CODE:35.6/OLD FMR CODE: RCH-5.35.PME.1 (ANNXUR:3)

S.no	District Name	Total AFHS Clinic in district	Fund for AH counselors out reach activity moblity support @400/visit for 8 visit per month for 12 months	Fund for communication @ Rs 300/month for 12 month	Total fund for Districts
1	AGRA	2	76800.00	7200.00	84000.00
2	ALIGARH	2	76800.00	7200.00	84000.00
3	AMBEDKAR NAGAR	0	0.00	0.00	0.00
4	AMETHI	0	0.00	0.00	0.00
5	AURAIYA	0	0.00	0.00	0.00
6	AYODHYA	10	384000.00	36000.00	420000.00
7	AZAMGARH	2	76800.00	7200.00	84000.00
8	BAGHPAT	0	0.00	0.00	0.00
9	BAHRAICH	12	460800.00	43200.00	504000.00
10	BALLIA	2	76800.00	7200.00	84000.00
11	BALRAMPUR	2	76800.00	7200.00	84000.00
12	BANDA	2	76800.00	7200.00	84000.00
13	BARABANKI	17	652800.00	61200.00	714000.00
14	BAREILLY	17	652800.00	61200.00	714000.00
15	BASTI	2	76800.00	7200.00	84000.00
16	BIJNOR	2	76800.00	7200.00	84000.00
17	BUDAUN	13	499200.00	46800.00	546000.00
18	BULANDSHAHAR	0	0.00	0.00	0.00
19	CHANDAULI	0	0.00	0.00	0.00
20	CHITRAKOOT	0	0.00	0.00	0.00
21	DEORIA	2	76800.00	7200.00	84000.00
22	ETAH	9	345600.00	32400.00	378000.00
23	ETAWAH	2	76800.00	7200.00	84000.00
24	FARRUKHABAD	9	345600.00	32400.00	378000.00
25	FATEHPUR	2	76800.00	7200.00	84000.00
26	FIROZABAD	0	0.00	0.00	0.00
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	0	0.00	0.00	0.00
28	GHAZIABAD	2	76800.00	7200.00	84000.00
29	GHAZIPUR	0	0.00	0.00	0.00
30	GONDA	13	499200.00	46800.00	546000.00
31	GORAKHPUR	2	76800.00	7200.00	84000.00
32	HAMIRPUR	0	0.00	0.00	0.00
33	HAPUR	0	0.00	0.00	0.00
34	HARDOI	21	806400.00	75600.00	882000.00
35	HATHRAS	2	76800.00	7200.00	84000.00
36	JALAUN	0	0.00	0.00	0.00
37	JAUNPUR	0	0.00	0.00	0.00
38	JHANSI	2	76800.00	7200.00	84000.00
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	0	0.00	0.00	0.00
40	KANNAUJ	7	268800.00	25200.00	294000.00
41	KANPUR DEHAT	0	0.00	0.00	0.00

52/76

131

S.no	District Name	Total AFHS Clinic in district	Fund for AH counselors out reach activity moblity support @400/visit for 8 visit per month for 12 months	Fund for communication @ Rs 300/month for 12 month	Total fund for Districts
42	KANPUR NAGAR	1	38400.00	3600.00	42000.00
43	KASGANJ	8	307200.00	28800.00	336000.00
44	KAUSHAMBI	5	192000.00	18000.00	210000.00
45	KUSHINAGAR	0	0.00	0.00	0.00
46	LAKHIMPUR KHERI	17	652800.00	61200.00	714000.00
47	LALITPUR	2	76800.00	7200.00	84000.00
48	LUCKNOW	2	76800.00	7200.00	84000.00
49	MAHARAJGANJ	13	499200.00	46800.00	546000.00
50	MAHOBA	2	76800.00	7200.00	84000.00
51	MAINPURI	0	0.00	0.00	0.00
52	MATHURA	2	76800.00	7200.00	84000.00
53	MAU	0	0.00	0.00	0.00
54	MEERUT	0	0.00	0.00	0.00
55	MIRZAPUR	12	460800.00	43200.00	504000.00
56	MORADABAD	2	76800.00	7200.00	84000.00
57	MUZAFFARNAGAR	2	76800.00	7200.00	84000.00
58	PILIBHIT	9	345600.00	32400.00	378000.00
59	PRATAPGARH	0	0.00	0.00	0.00
60	PRAYAGRAJ	17	652800.00	61200.00	714000.00
61	RAEBARELI	2	76800.00	7200.00	84000.00
62	RAMPUR	8	307200.00	28800.00	336000.00
63	SAHARANPUR	2	76800.00	7200.00	84000.00
64	SAMBHAL	0	0.00	0.00	0.00
65	SANT RAVIDAS NAGAR	0	0.00	0.00	0.00
66	SANTKABIR NAGAR	3	115200.00	10800.00	126000.00
67	SHAHJAHANPUR	16	614400.00	57600.00	672000.00
68	SHAMLI	0	0.00	0.00	0.00
69	SHRAWASTI	2	76800.00	7200.00	84000.00
70	SIDDHARTH NAGAR	0	0.00	0.00	0.00
71	SITAPUR	19	729600.00	68400.00	798000.00
72	SONBHADRA	10	384000.00	36000.00	420000.00
73	SULTANPUR	0	0.00	0.00	0.00
74	UNNAO	0	0.00	0.00	0.00
75	VARANASI	3	115200.00	10800.00	126000.00
	TOTAL	317	12172800.00	1141200.00	13314000.00